भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 445

दिनांक 21.07.2026 को उत्तरार्थ

पंचायती राज संस्थान

445. डॉ. धर्मवीर गांधी;

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने 73वें संविधान संशोधन के अधिनियमन के बाद पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के कामकाज की समीक्षा की है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का ग्राम पंचायतों को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभावी नियोजन और कार्यान्वयन को सक्षम बनाने के लिए उन्हें अधिक प्रशासनिक, वित्तीय और कार्यात्मक शक्तियां हस्तांतरित करने का विचार है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा पंचायतों को हस्तांतरित किए गए कोष, कार्यों और पदाधिकारियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करने तथा पंचायती राज संस्थाओं की अधिक स्वायत्तता, जवाबदेही और क्षमता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह)

(क) से (घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में पंचायत, 'स्थानीय सरकार" होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित और संचालित किया जाता है। संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, राज्यों ने अपने अलग-अलग पंचायती राज अधिनियम बनाए हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243छ, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने के लिए तथा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी स्कीमों को, जो पंचायतों को सौंपी जा सके, जिनमें संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषय भी शामिल है, के क्रियान्वयन के लिए, किसी भी राज्य के विधान मंडल को, निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, उचित स्तर पर पंचायतों को शक्तियों और उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण के लिए, कानून द्वारा, प्रावधानों को बनाने का अधिकार देता है। राज्य के विधानमंडल को, पंचायतों को शक्तियों और उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण के लिए, ग्यारहवी अनुसूची में वर्णित 29 विषयों पर विचार करना होता है। तदनुसार, पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज की समीक्षा करना, ग्राम पंचायतों को ज़्यादा प्रशासनिक, वित्तीय और कामकाज से जुड़े अधिकार सौंपना, पंचायतों को सौंपे गए निधि, कार्य और पदाधिकारियों का विवरण, और स्थानीय स्वशासन को मज़बूत करने तथा पंचायती राज संस्थाओं की ज़्यादा स्वायत्तता, जवाबदेही और क्षमता सुनिश्चित करने सहित पंचायतों से संबंधित सभी मामले राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

हालाँकि, पंचायती राज मंत्रालय समय-समय पर अध्ययनों, समीक्षा बैठकों, क्षेत्रों के दौरे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों, आदि के माध्यम से, पंचायतों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करता रहता है। पंचायती राज मंत्रालय राज्यों द्वारा पंचायतों को सौंपे गए निधियों, कार्यों और पदाधिकारियों का वर्ष-वार ब्यौरा नहीं रखता है।

जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में स्थानीय सरकारों की भूमिका और अंतरण की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए, मंत्रालय ने फरवरी, 2025 में "राज्यों में पंचायतों को अंतरण की स्थिति-एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग, 2024" नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट अंतरण सूचकांक को प्रस्तुत करती है, जोकि संविधान के भाग-9 के अंतर्गत आने वाले सभी राज्यों/ संघ राज्यों क्षेत्रों को चिन्हित किए गए छः आयामों, अर्थात् रूपरेखा, कार्य, वित्त, पदाधिकारी, क्षमता में वृद्धि और जवाबदेही के आधार पर उनको समग्र स्कोर और रैंक प्रदान करती है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि 2013-14 से 2021-22 के बीच अंतरण सूचकांक का दायरा 39.9% से बढ़कर 43.9% हो गया है। अंतरण सूचकांक और उप-सूचकांकों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की रैंकिंग **अनुबंध-I** में संलग्न है।

इन छः चिन्हित आयामों में, **रूपरेखा** में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, पंचायत चुनाव और राज्य चुनाव आयोग, पंचायतों का कार्यकाल, उनका भंग होना और उपचुनाव, ज़िला योजना समिति का गठन और कामकाज, समितियों और समानांतर निकायों/संस्थाओं में पंचायतों की भूमिका, और पंचायतों को स्वायत्तता देना शामिल है। **कार्य** में पंचायतों को सौंपे गए काम जैसे एक्टिविटी मैपिंग, किया गया व्यय , पंचायतों की वास्तविक भागीदारी और महत्वपूर्ण योजनाओं में पंचायतों की भूमिका शामिल हैं |**वित्त** में पंचायतों को मिलने वाला 15वें वित्त आयोग का अनुदान, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के

आधार पर पंचायतों को धन का हस्तांतरण, राजस्व लगाने और इकट्ठा करने के लिए पंचायतों को अधिकार देना, पंचायतों के पास उपलब्ध निधि, पंचायतों का खर्च, और वित्त, अकाउंट्स व बजट से जुड़ी पहलें शामिल हैं। **पदाधिकारी** में पंचायतों का भौतिक बुनियादी ढांचा, पंचायतों की ई-कनेक्टिविटी और पंचायत अधिकारी शामिल हैं। **क्षमता में वृद्धि** में प्रशिक्षण संस्थान और प्रशिक्षण गतिविधियाँ जैसे चुने हुए प्रतिनिधियों और अधिकारियों का प्रशिक्षण शामिल हैं| **जवाबदेही** में पंचायतों का लेखांकन और ऑडिट, पंचायतों का सोशल ऑडिट, ग्राम सभा का कामकाज, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार-रोधी उपाय, तथा पंचायतों का मूल्यांकन और प्रोत्साहन शामिल हैं।

स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करने और पंचायती राज संस्थाओं की अधिक स्वायत्तता, जवाबदेही और क्षमता सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्रीय प्रायोजित योजना को वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू किया है, जिसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों को नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करके पंचायती राज संस्थाओं का समर्थन करना है, जिससे ग्राम पंचायतें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। इस योजना के तहत, पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों को विभिन्न श्रेणियों, जैसे कि बुनियादी मार्गदर्शन और पुनरावलोकन कार्यक्रम, विषयगत हस्तक्षेप, विशेष प्रशिक्षण और पंचायत विकास योजना से संबंधित कार्यक्रम आदि, के अंतर्गत क्षमता निर्माण सहायता प्रदान की जाती है| यह योजना पंचायत प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए अनुभवात्मक शिक्षा और सर्वोत्तम प्रथाओं के कार्यान्वयन हेतु एक्सपोजर विजिट को भी बढ़ावा देती है, साथ ही प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्री आदि के विकास में भी सहायता प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए, नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) के तहत आईआईएम/आईआईटी जैसे उत्कृष्ट संस्थानों के माध्यम से पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण हेतु एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

पंचायती राज मंत्रालय ने आईआईएम अहमदाबाद के सहयोग से ग्राम पंचायतों की वित्तीय आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए स्व-स्रोत राजस्व (ओएसआर) पर एक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया है। यह मॉड्यूल निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत पदाधिकारियों को यह समझने में मदद करता है कि कर और गैर-कर स्रोतों से ओएसआर कैसे उत्पन्न होता है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण के लिए "सशक्त पंचायत नेत्री अभियान" के अंतर्गत एक विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू किया है। इस प्रशिक्षण मॉड्यूल का उद्देश्य ग्रामीण शासन के विभिन्न पहलुओं में महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता का निर्माण करना और निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के प्रभावी निर्वहन के लिए उनके ज्ञान और व्यावहारिक कौशल को बढ़ाना है, जिससे महिला नेतृत्व वाले शासन को बढ़ावा मिल सके।

****

अनुबंध-I

दिनांक 21.07.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 445 के उत्तर के भाग (क) से (घ) में संदर्भित अनुबंध

अंतरण सूचकांक (डीआई) और उप-सूचकांक में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की रैंकिंग

श्रेणी	डीआई		रूपरेखा		कार्य		वित्त		पदाधिकारियों		क्षमता निर्माण		जवाबदेही	
	राज्य	अंक	राज्य	अंक	राज्य	अंक	राज्य	अंक	राज्य	अंक	राज्य	अंक	राज्य	अंक
सामान्य श्रेणी के राज्य														
1	कर्नाटक	72.23	केरल	83.56	तमिलनाडु	60.24	कर्नाटक	70.65	गुजरात	90.94	तेलंगाना	86.19	कर्नाटक	81.33
2	केरल	70.59	महाराष्ट्र	74.74	कर्नाटक	57.62	केरल	62.89	तमिलनाडु	84.25	तमिलनाडु	84.29	केरल	81.18
3	तमिलनाडु	68.38	कर्नाटक	74.43	ओडिशा	57.46	तमिलनाडु	55.78	केरल	82.99	गुजरात	83.96	महाराष्ट्र	80.36
4	महाराष्ट्र	61.44	हरियाणा	73.3	राजस्थान	56.13	राजस्थान	54.56	कर्नाटक	80.11	गोवा	77.7	उत्तर प्रदेश	76.07
5	उत्तरप्रदेश	60.07	मध्य प्रदेश	70	केरल	53.86	ओडिशा	53.57	छत्तीसगढ	78.33	आंध्र प्रदेश	76.69	तमिलनाडु	71
6	गुजरात	58.26	ओडिशा	69.2	उत्तर प्रदेश	46.89	पश्चिम बंगाल	52.96	बिहार	75.13	उत्तर प्रदेश	74.44	आंध्र प्रदेश	60.49
7	राजस्थान	56.67	राजस्थान	68.54	महाराष्ट्र	46.52	उत्तर प्रदेश	51.76	महाराष्ट्र	73.63	महाराष्ट्र	73.35	तेलंगाना	60.43
8	पश्चिम बंगाल	56.52	छत्तीसगढ	68.51	छत्तीसगढ	42.39	छत्तीसगढ	51.45	आंध्र प्रदेश	68.78	कर्नाटक	71.59	छत्तीसगढ	58.17
9	छत्तीसगढ	56.26	तमिलनाडु	66.83	गुजरात	41.23	तेलंगाना	46.86	पश्चिम बंगाल	67.76	केरल	71.11	पश्चिम बंगाल	57.87
10	तेलंगाना	55.1	पश्चिम बंगाल	62.3	मध्य प्रदेश	39.47	बिहार	43.86	राजस्थान	64.03	पश्चिम बंगाल	70.63	ओडिशा	51.92
11	आंध्र प्रदेश	54.43	गुजरात	61.65	तेलंगाना	38.77	आंध्र प्रदेश	43.19	उत्तर प्रदेश	63.13	मध्य प्रदेश	70	बिहार	51.64
12	मध्य प्रदेश	50.94	आंध्र प्रदेश	60.08	पश्चिम बंगाल	33.07	महाराष्ट्र	42.96	मध्य प्रदेश	62.22	राजस्थान	61.43	गुजरात	47.9

13	ओडिशा	50.03	उत्तर प्रदेश	54.64	पंजाब	31.97	मध्य प्रदेश	42.34	तेलंगाना	58.01	बिहार	55.27	हरियाणा	41.93
14	बिहार	48.24	गोवा	52.88	आंध्र प्रदेश	30.5	गुजरात	41.63	गोवा	46.31	छत्तीसगढ	47.61	राजस्थान	41.43
15	हरियाणा	39.33	बिहार	49.76	झारखंड	27.56	हरियाणा	40.38	हरियाणा	38.48	ओडिशा	43.43	मध्य प्रदेश	36.55
16	गोवा	37.71	पंजाब	47.26	बिहार	18.69	पंजाब	36.36	झारखंड	27.83	हरियाणा	35.35	गोवा	31.75
17	पंजाब	29.34	तेलंगाना	45.35	हरियाणा	16.82	झारखंड	30.05	ओडिशा	27.42	पंजाब	26.34	पंजाब	24.87
18	झारखंड	27.73	झारखंड	42.3	गोवा	6.63	गोवा	26.88	पंजाब	8.2	झारखंड	24.72	झारखंड	16.47
पूर्वोत्तर / पहाड़ीक्षेत्रकेराज्य														
1	त्रिपुरा	57.58	उत्तराखंड	70.95	सिक्किम	42.59	त्रिपुरा	59.16	हिमाचल प्रदेश	70.06	हिमाचल प्रदेश	83.68	त्रिपुरा	70.69
2	हिमाचल प्रदेश	53.17	त्रिपुरा	66.5	असम	28.66	हिमाचल प्रदेश	48.41	असम	65.12	त्रिपुरा	76.82	असम	57.14
3	उत्तराखंड	49.11	सिक्किम	65.27	हिमाचल प्रदेश	23.01	उत्तराखंड	47.11	उत्तराखंड	60.49	असम	71.96	उत्तराखंड	52.72
4	असम	49.06	हिमाचल प्रदेश	62.22	त्रिपुरा	21.5	सिक्किम	43.5	त्रिपुरा	52.22	उत्तराखंड	56.02	हिमाचल प्रदेश	39.41
5	सिक्किम	43.81	असम	54.04	उत्तराखंड	16.68	असम	34.06	सिक्किम	31.42	सिक्किम	53.23	सिक्किम	34.94
6	अरुणाचल प्रदेश#	17.96	अरुणाचल प्रदेश#	41.5	अरुणाचल प्रदेश#	12.7	मणिपुर#	13.17	मणिपुर#	21.4	अरुणाचल प्रदेश#	37.4	मणिपुर#	28.75
7	मणिपुर#	17.13	मणिपुर#	34.05	मणिपुर#	11.23	अरुणाचल प्रदेश#	6.83	अरुणाचल प्रदेश#	5.74	मणिपुर#	3.75	अरुणाचल प्रदेश#	22.56
संघ राज्य क्षेत्र														
1	जम्मू और कश्मीर	27.85	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	55.21	जम्मू और कश्मीर	11.88	पुदुचेरी	16.16	लक्षद्वीप#	39.53	जम्मू और कश्मीर	55.08	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	45.73
2	अंडमान और	27.15	लक्षद्वीप#	31.42	लद्दाख	11.08	जम्मू और	13.29	जम्मू और	36.97	अंडमान और	54.82	जम्मू और	39.76

	निकोबार द्वीप समूह						कश्मीर		कश्मीर		निकोबार द्वीप समूह		कश्मीर	
3	लक्षद्वीप#	18.32	जम्मू और कश्मीर	23.07	लक्षद्वीप#	10.36	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9.09	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव#	31.69	लद्दाख	29.32	पुदुचेरी	29.33
4	लद्दाख	16.18	लद्दाख	22.21	पुदुचेरी	4.63	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव#	5.45	लद्दाख	25.25	लक्षद्वीप#	15.18	लक्षद्वीप#	28.13
5	पुदुचेरी	16.16	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव#	22.06	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4.5	लक्षद्वीप#	3.99	पुदुचेरी	21.49	पुदुचेरी	13.75	लद्दाख	27.43
6	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव#	13.62	पुदुचेरी	9.31	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव#	0	लद्दाख	0	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	20.94	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव#	8.57	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव#	24.91
	राष्ट्रीयऔसत	**43.89**		**54.29**		**29.18**		**37.04**		**50.96**		**54.63**		47.51

स्रोत:"राज्यों में पंचायतों को अंतरण की स्थिति-एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग, 2024" नामक शीर्षक से रिपोर्ट

नोट: #वे राज्य जिनके लिए पिछले आँकड़े इस्तेमाल किए गए हैं।